(26)

संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : निर्बल वर्ग ग्रामोद्योग सेवा संस्थान

2. संस्था का पूरा पता : 563 ख/4, मंगलखेड़ा
आलमबाग, लखनऊ

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारतवर्ष

4. संस्था के उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगे -

1. समिति के कार्यक्षेत्र के निवासियों का नैतिक सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान करना।
2. शिक्षा के प्रसारण में पाठ्शालाओं, महिला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, नारी उत्थान तथा प्रौढ़ पाठशालाओं आदि की स्थापना कराना तथा जनता की रचनात्मक तरीके से सेवा करना।
3. छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण केन्द्र खुलावाना और समाज में अधिक आय के अवसर प्रदान करना।
4. जनहित में कुटीर उद्योग ग्रामोद्योग, कृषि उद्योग, मछली पालन, पशुपालन आदि के क्षेत्र में आने वाली योजनाओं के वितरण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र से प्रचार-प्रसार करना।
5. उद्देश्य की पूर्ति हेतु वन विभाग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग, सरकारी तथा गैर सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली समस्त एजेन्सियों, स्थानीय निकाय राष्ट्रीयकृत बैंक आदि से आर्थिक सहायता प्राप्त कर योजनाओं को क्रियान्वित कराना और योजनानुसार सम्बन्धित कार्य को करना और उनके द्वारा अपनायी गई नीतियों एवं नियमों के अनुसार कार्य में परिणित करना, ऋण आदि का सदुपयोग करना तथा वापस करना।
6. 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरा कराने में सरकार को सहायता करना जैसे दहेज प्रथा समाप्त कराने का प्रचार प्रसार करना, हितकारी कार्य कराना व जनता में शजरकारी लगवाने की भावना जागृत करना, हितकारी कार्य कराना तथा शजरकारी उत्तर प्रदेश वन विभाग में सहायता प्राप्त कर तथा नर्सरी शजर कार्य करने के लिए भूमि का प्रबन्ध कराना, उपजाऊ भूमि के साधन प्राप्त करना और विभिन्न किस्मों के आयुर्वेदिक पौधों एवं औषधियों को खोजकर जनता को उनसे होने वाले फायदों से अवगत कराना।
7. संस्था की आवश्यकता हेतु भूमि भवन की व्यवस्था कराना तथा आवश्यकता पड़ने का क्रय करना।
8. संस्था उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग की सूची में मान्यता प्राप्त कर ग्रामोद्योग की स्थापना करके संस्था द्वारा उत्पादन एवं बिक्री करना तथा बिक्री से प्राप्त लाभ को चैरिटेबिल कार्यों में व्यय करना।
9. चिकितसा स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करना तथा देश भर में स्वास्थ्य का स्तर सुधारने हेतु तथा इससे सम्बन्धित जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को प्रतिपादित करना, जैसे-कैम्प एवं केन्द्र आदि खोलना एवं उनका प्रबन्धन करना होगा, वृक्षारोपण, पर्यावरण तथा स्वच्छता से सम्बन्धित जानकारी का प्रचार-प्रसार करना तथा सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों आदि की विभिन्न योजनाओं को जन-हित में क्रियान्वित करना।
10. स्वास्थ्य शिविर धर्मार्थ चिकितसालयों का निर्माण, एम्बूलेंस का निःशुल्क प्रबन्धन करना।
11. जन सामान्य को अच्छी शिक्षा (ऐकडमिक एवं तकनीकी) निःशुल्क उपलब्ध कराना।
12. वैकल्पिक ऊर्जा के विषय के जन-साधरण को जागरूक करना दैविक आपदा एवं मानव आपदा के निराकरण के लिये कार्य कराना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ
27.05.